

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.2010/टेली/9(3)/4

नई दिल्ली, 12.09.2012

दूरसंचार परिपत्र सं.12/2012

महाप्रबंधक/सभी भारतीय रेलें
सभी उत्पादन इकाइयां, कोर/इलाहाबाद,
महानिदेशक/अमासं एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, आईजी/आरपीएफ,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो, डीसीडब्ल्यू, आईआरपीएमयू और
छपरा, रायबरेली की नई उत्पादन इकाइयां,
निदेशक/इरीसेट, इरीसेन, इरीन, इरिमी, इरीटेम,
अध्यक्ष, सभी रेल भर्ती बोर्ड

विषय: रेलवे वॉयस नेटवर्क का आधुनिकीकरण।

विज्ञन 2020 दस्तावेज में उल्लिखित योजना के अनुसार रेलों के वॉयस नेटवर्क को आधुनिक बनाने की व्यष्टि से भारतीय रेलों पर वीओआईपी आधारित टेलीफोनी शुरू करने की योजना के संबंध में सुझाव देने हेतु एक तकनीकी समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसे स्वीकार कर लिया गया है।

2. समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:-


- (i) भारतीय रेलों पर आईपी टेलीफोनी अपनाने के लिए एसआईपी प्रोटोकॉल उपयोग किया जाना चाहिए।
- (ii) एस्टेरिस्क, ओपन सोर्स टेलीफोनी सॉफ्टवेयर का उपयोग आईपी टेलीफोनी के लिए किया जाए ताकि भारतीय रेलों पर सॉफ्टवेयर को मानकीकृत किया जा सके।
- (iii) इरीसेट, अमासं के सहयोग से प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करे ताकि रेलकर्मियों को ओपन सोर्स टेलीफोनी सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षित किया जा सके।
- (iv) अमासं द्वारा एस्टेरिस्क की जांच की जाए और भारतीय रेलों पर इसके कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
- (v) रेलनेट का उपयोग आईपी टेलीफोनी के लिए किया जाए। इस उद्देश्य से पीओई स्विच और क्यूओएस को रेलनेट पर चालू किया जाय।

- (vi) अक्षग-अक्षग कॉटेक्स्ट का उपयोग करते हुए कॉमन आईपी टेलीफोनी अवसंरचना, इंटरकॉम और रेलवे टेलीफोन को परिचालित किया जाना चाहिए।
- (vii) एफएक्सएस गेटवे का उपयोग फैक्स कनेक्टिविटी के लिए किया जाए और एफएक्सओ/पीआरआई गेटवे का उपयोग पीएसटीएन कनेक्टिविटी को एकीकृत करने के लिए किया जाए।
- (viii) वॉयस ट्रैफिक के आदान-प्रदान के लिए एनजीएन और रेलनेट के बीच इंटरकनेक्टिविटी के लिए सैशन बॉर्डर नियंत्रक मुहैया कराए जाएं।
- (ix) रेलनेट के एलएएन में पीओई स्विचों का उपयोग किया जाए ताकि आईपी टेलीफोन नेटवर्क स्विचों से पॉवर ले सकें।
- (x) रेलनेट के एलएएन और डब्ल्यूएएन में क्यूओएस को कार्यान्वित किया जाए।

3. अअमास ने एस्टेरिस्क आधारित पीबीएक्स पर अपनी रिपोर्ट सं.एसटीटी-43 और भारतीय रेलों पर इसके कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

4. समिति की रिपोर्ट और अअमास के दिशा-निर्देश, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं। ये <http://tele.rb.railnet.gov.in/> वैबसाइट पर भी अपलोड किए गए हैं।

संलग्नक: यथोक्त.


(राकेश रंजन)

निदेशक/दूरसंचार

दूरभाष: 011-23388504, 030-44613

फैक्स: 011-23304690, 030-44690

ई-मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

- (i) सीएसटीई/सभी भारतीय रेलों
- (ii) प्रबंध निदेशक/ रेलटेल
- (iii) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/आईआरपीएमयू
- (iv) कार्यपालक निदेशक/टेली/अअमास /लखनऊ.